संख्या-3/2026/बी-3- 248/दस-2026-100(4)/2002-ब.मै.

प्रेषक,

दीपक कुमार,

अपर मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3 लखनऊ : दिनाँक 09 जुलाई, 2026

विषय:- आय-व्ययक 2026-2027 में प्रावधानित एकमुश्त व्यवस्था से स्वीकृति।

महोदय,

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-04/2026/बी-1-812/दस-2026-231/ 2026, दिनाँक 28 मार्च, 2026 द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-2027 के बजट में प्रावधानित धनराशि (मतदेय/भारित) के समक्ष वित्तीय स्वीकृतियां जारी किये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2- अवगत कराना है कि बजट में एकमुश्त प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष प्रशासकीय विभागों द्वारा तैयार की गयी वार्षिक कार्य योजना की समीक्षा शीघ्र ही उच्च स्तर पर किया जाना सम्भावित है। अत: उक्त के सम्बन्ध में प्रशासकीय विभागों से यह अपेक्षा की जाती है कि वित्तीय वर्ष 2026-2027 के बजट में विभिन्न विभागीय अनुदानों में प्राविधानित एकमुश्त व्यवस्था से वित्तीय वर्ष के दौरान कराये जाने वाले **कार्यों की वार्षिक कार्ययोजना** (प्रत्येक कार्य की लागत तथा वित्तीय वर्ष के दौरान होने वाले अनुमानित व्यय सहित) सम्बन्धी कार्य को वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-3/2021/बी-3-138/दस-2021-100(4)/2002-ब.मै.,दिनाँक 10 मार्च, 2021 में निहित निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित कर लिया जाय।

भवदीय,

दीपक कुमार

अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 3/2026-बी-3-248 (1)/दस-2026-100(4)/2002-ब.मै., तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. वित्त विभाग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
3. उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

नील रतन कुमार

विशेष सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट httpS//shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in